

राजस्थान आवासन मण्डल :: जयपुर

क्रमांक :-प1(1)कार्मिक/निजी.चिकि./31/2014-15/1090

दिनांक:- 11/7/14

-:: कार्यालय-आदेश ::-

राजस्थान हाऊसिंग बोर्ड चिकित्सा विनियम 1970 के अन्तर्गत हाऊसिंग बोर्ड कार्मिकों की चिकित्सा सुविधाओं में विस्तार करते हुये निम्नलिखित निजी चिकित्सालय को मण्डल द्वारा निर्धारित सामान्य शर्तों के साथ चिकित्सा उपयोग हेतु मान्यता दी जाती है :-

क्र. सं.	चिकित्सालय का नाम व पता	दूरभाष नम्बर	मण्डल कार्मिकों को देय छूट
1	अरुणा अस्पताल, आदित्य मेटरनिटी सेन्टर, एसआरकेएस, एडवान्स ऑर्थोपेडिक्स सेन्टर, 16, राजीव कॉलोनी, चित्तौडगढ़-312001	01472-240527	आईपीडी (In House Services) पर 15% छूट (दवाईया, कन्ज्यूमेबल एवं इम्प्लान्ट को छोडकर)

उक्त आदेश को माननीय अध्यक्ष महोदय का अनुमोदन प्राप्त है तथा संचालक मण्डल के अनुमोदन की पूर्व अपेक्षा में जारी किया जाता है।

- 30 -
(दिनेश कुमार पंवार)
सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/ आवासन आयुक्त/मुख्य अभियन्ता-मु./I/II, रा0आ0म0,जयपुर।
2. निजी सचिव-सचिव/वि.सं. एवं मुख्यलेखाधिकारी, रा.आ.मण्डल, जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता- प्रथम/द्वितीय/तृतीय, रा.आ.मण्डल, जयपुर/जोधपुर।
4. निदेशक विधि/अति. मुख्य नगर नियोजक/मुख्य संपदा प्रबंधक/उप सचिव/वरिष्ठ कार्मिक प्रबंधक/संयुक्त निदेशक (सिस्टम एनालिस्ट) रा.आ.मण्डल,जयपुर।
5. समस्त उप आवासन आयुक्त वृत्त-...../आवासीय अभियन्ता, खण्ड-.....।
6. समस्त प्रकोष्ठ मुख्यालय राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. लेखाधिकारी (भुगतान/पेंशन)/एसीआर/गोपनीय प्रकोष्ठ, रा.आ.मण्डल, जयपुर।
8. संबंधित चिकित्सालय-
9. नोटिस बोर्ड/रक्षित पत्रावली।

10/7/14
सचिव